

21.08.2017 श्री पी.एन.भट्टेले अधिवक्ता द्वारा शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश बाद विचार स्वीकार।

प्रकरण आज पेशी में लिया गया।

श्री पी.एन.भट्टेले सहित आरोपी हमीद खां उपस्थित। आरोपी की ओर से आवेदन पत्र धारा 44(2)जा.फौ. पेश। आवेदन पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आरोपी हमीद खां पर विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत विद्युत उर्जा चोरी के तहत परिवाद पेश किया गया है। जिसमें आरोपी से 24872/- रुपए की विद्युत वसूली होना है। प्रकरण में आरोपी की आवश्यकता है। अतः आवेदन स्वीकार कर आरोपी को अभिरक्षा में लिया जाता है।

आरोपी की ओर से आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 जा. फौ. पेश। नकल परिवादी अधिवक्ता को दी गयी। उभयपक्ष को आवेदन पर सुना गया। परिवादी अधिवक्ता द्वारा आवेदन निरस्त करने की प्रार्थना की गयी। आवेदक आरोपी द्वारा अपने आवेदन में निवेदन किया है कि परिवादी कंपनी द्वारा उसे झूठे अपराध में फसाया गया है। उसने कोई विद्युत चोरी नहीं की। अतः उसे जमानत पर छोड़ा जावे।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निराकरण में समय लगना संभव है। आरोपी आज स्वयं उपस्थित हुआ है। उपरोक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत जमानत आवेदन इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि आरोपी प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहे तो उसकी ओर से 20000 रुपए की जमानत एवं इतनी ही राशि का मुचलका पेश होने पर उसे जमानत पर छोड़ा जावे।

प्रकरण आरोपी तर्क हेतु दिनांक 03.11.17 को पेश हो।

वीरेन्द्र सिंह राजपूत
अपर जिला जज गोहद